केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067

******

प्रथम अपील सं	CICOM/A/P/25/00068
संदर्भ संचिका सं .	CICOM/R/P/25/00091
अपीलकर्ता	श्री हरवंश S/o श्री रामस्नेही, ग्राम + पोस्ट - गुहाना, तह ० + जिला - डींग, राजस्थान - 321203

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	28.01.2025
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	11.02.2025
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	12.02.2025 & 12.03.2025
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	श्री एस. अनंथारामन CPIO, (DR to IC VT) & श्री बिजेंद्र कुमार (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	28.02.2025
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	07.03.2025
निर्णय की तारीख	04.04.2025

1.मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 28.01.2025 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : .

1.) प्रार्थी द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 27.01.2025 पर मा0 आयोग (CIC) द्वारा तथा "मा0 रजिस्ट्रार" द्वारा एवं मा0 "मुख्या सूचना आयुक्त" द्वारा की गई कार्यवाही से "प्रार्थी -पक्ष" (वादी) को अवगत कराया जावे। आदेशनुसार पूर्ण, पर्याप्त सूचना दिलावे।

2.) प्रार्थी की फाइल नंCIC/CICOM/A/2023/124903 पर सुनवाई दौरान प्रतिवादी पक्ष को आदेश दिया गया था ,कि "वादी पक्ष" को मा0 आयोग के पर्ववत आदेशों के अनुसार पूर्ण, पर्याप्त एवं "अभिलेख -प्रतियां" शीघ्र उपलब्ध कराई जावे। मा0 अनंथारामन (DR) द्वारा आज तक (Non – compliance) पर कोई भी कार्यवाही न की गई और जब आदेश जारी किया गया तो, उसे ख़ारिज कर दिया गया, ऐसा क्यों किया गया था सुनवाई मैं जो तय हुआ था, उसके मुताबिक आदेश जारी न करने की पर्याप्त कारण बतावे तथा जब आदेश में प्रार्थी की अपील को ख़ारिज करना था, तो यह सुनवाई दौरान स्पष्ट करना चाहिए थी, जो क्यों नहीं किया था।

3.) एक आदेश जारी करने की अधिकतम (Maximum) अवधि क्या है तथा प्रार्थी की फाइल सं के आदेश को 1.1/2 माह तक रोके रखने का उचित एवं पर्याप्त कारण जानना चाहता है।

4.) प्रार्थी को मा0 आयोग (CIC) के आदेशनुसार भी प्रार्थी को पूर्ण पर्याप्त एवं प्रमाणित तथा (अभिलेख प्रति) कब तक उपलब्ध करवाई जाएगी।

2. प्रदान की गई सूचना

श्री एस. अनंथारामन तथा श्री बिजेंद्र कुमार केन्द्रीय जन सूचना अधिकारीयों ने पत्र दिनांकित 12.02.2025 तथा 12.03.2025 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई –

"Point 1.) – (a) CIC/IARMY/A/2023/108807 – The Commission vide its order dated 03.01.2025 closed the matter as the Respondent authority has complied with the Commission's order 19.03.2024.

(b) – CIC/IARMY/A/2023/131818 – The Commission vide its order dated 03.01.2025 closed the matter as the Respondent authority has complied with the Commission's order 10.10.2024.

(c) – CIC/OFBKO/A/2021/125527 – The Commission vide its order dated 06.02.2024 closed the matter as the Respondent authority has complied with the Commission's order 13.06.2022... (please see the file.)

Point 2 to 4.) Refer file No CIC/CICOM/A/2023/124903 the hearing was held on 02.12.2024 and decision was given on 11.12.2024 there has been no direction given to CPIO as reply of CPIO was deemed appropriate. As far as previous orders are concerned DR IC VT Mr. Anantharaman has informed vide letter Ref No CIC/CICOM/A/2023/124903 that replies already sent by CPIO stands good. (copy enclosed).

3. प्रथम अपील का आधार

"सविनय नम्र निवेदन यह है कि प्रार्थी को आज तक सभी बिंदुओं की पूर्ण, पर्याप्त एवं अभिलेख प्रति सहित सूचनाएं न उपलब्ध कराई गई, जिससे प्रार्थी को गुमराह किया गया तथा समय रहते हुए प्रार्थी को न्याय न मिल सका। अतः प्रार्थी को सभी बिंदुओं की सूचनाएं पूर्ण पर्याप्त एवं अभिलेख प्रति सहित दिलाई जावे।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/25/00091 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही है। परन्तु आपने अपनी प्रथम अपील में यह कहा है कि मुझे आज तक कोई सूचना नहीं प्रदान की गई है, जबकि केंद्रीय जन सूचना अधिकारीयों ने 12.02.2025 & 12.03.2025 को ही सूचना दे दी है। जिसकी प्रति प्रथम अपील के आदेश के साथ सलग्न कर दी गई है। अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक 04.04.2025 .

रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी

दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

04/04/25

O/C